

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अजमेर  
 अदालत  
 राजस्व अपील प्राधिकारी

दिनांक	व्यक्ति	वृत्त या कार्यवाही का हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस वृत्त की तारीख जारी हुए
2017/225	श्री श्री प्रो. सुधीर	श्री ६१	
15/4/25	पत्रावली पेश हुई।	पेश की गई। आशिया लक्ष्मी लॉट उपस्थित। स्वातंत्र्य यास्ते यादगाल 15/4/25 को पेश की गई। दिनांक 2	
30/6/25	पत्रावली पेश हुई।	पेश की गई। पत्रावली उपस्थित। यास्ते यादगाल दिनांक 20/8/25 को पेश की गई।	
20/8/25	पत्रावली पेश हुई।	वकील अपील लॉट एवं रेसो. उपस्थित। राजस्व वार संघ / जिला वार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 8/10/25 को पेश हो।	
8/10/25	पत्रावली पेश हुई।	वकील अपील लॉट एवं रेसो. उपस्थित। राजस्व वार संघ / जिला वार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 28/11/25 को पेश हो।	
28.11.25	पत्रावली पेश हुई।	पेश की गई। कुलाम्प इका। पत्रावली स्वातंत्र्य यादगाल 15/10/26 को पेश की गई।	
15.1.26	पत्रावली पेश हुई।	माननीय राजस्व पण्डित महाराज राजस्व अजमेर के पत्र हस्तगत निगरानी / 74/2017/4014/जपु/2 निर्णय दिनांक 16/1/27 दिनांक 15.12.2025 मम पापालाय बना ही जिल्ला प्रशासन एवं माननीय राजस्व पण्डित द्वारा पारित मसिना दिनांक 13.9.2025 की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। माननीय राजस्व पण्डित के विचाराधीन निगरानी रखे जाने के अतिरिक्त निरस्त हो जाने के निगरानी सारणीय होने के कारण ही जा चुकी है। यही यह अपील प्राधिकारी द्वारा 212 रजम करणकारी बांधी कमिश्नरी द्वारा 25 फरवरी 2025 को पेश की गई है जो पूरा वाड के निरस्त होने जाने सारणीय हो चुकी है। अतः अपील प्रमाणित होने के कारण ही जा चुकी है। कारण सारणीय होने के कारण ही जा चुकी है। पत्रावली कमिश्नरी द्वारा 25 फरवरी 2025 को पेश की गई है।	



2017/00144

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर  
जयपुर/अपील टि0ए0 संख्या.....144...../2017

919  
14.6.17

श्री गणेश सिंह लाल  
अपील नंबर 107  
अपील वाद लाल  
रिपोट लाल  
जयपुर

1. कमरुदीन पुत्र लाल खों
2. आमीन पुत्र कमरुदीन
3. हनीफ पुत्र कमरुदीन

समस्त जाति मुसलमान निवासी साली तहसील दूंदू जिला.  
जयपुर।

अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार  
अजमेर  
14.6.17

राजस्थान सरकार। अपील नंबर 107

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध निर्णय विद्वान  
उपखण्ड अधिकारी दूंदू दिनांक 16.05.2017  
प्रकरण संख्या 18/2017

श्रीमान्जी,

14.6.17

अपीलान्टस अपील के संक्षिप्त तथ्यों सहित निम्न निवेदन करते  
है :-

यह है कि वादीगण/अपीलान्टस ने एक राजस्व वाद प्रतिवादी/  
रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88  
व 188 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी दूंदू के न्यायालय में  
ग्राम साली तहसील दूंदू में स्थित आराजी खसरा नम्बर 756 व  
748 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 5.77 हैक्टर जिसके साबिक  
खसरा नम्बर 691/1 व 687/1 थे वादीगण के बुजुर्गों के कब्जे  
काश्त में सम्वत 2011 से पूर्व की चली आ रही है। उनके

र